



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 26.12.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 07 किलोग्राम अवैध गांजा सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों 1. राम सिंह पुत्र प्यारेलाल 2. सुरेश पुत्र तोताराम नि0 बिरसिंगपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 07 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 640/20 व 641/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त
गुरुमेज को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त गुरुमेज पुत्र गुरुबम्म सिंह नि० खैराटिया थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ०१ अदद तमंचा १२ बोर व ०१ अदद जिन्दा कारतूस बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० १३५७/२० व धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा ०४ शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध २/३ गैंगस्टर
एक्ट की कार्यवाही**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा ०४ अभियुक्तों १. नन्हू उर्फ इखलाक पुत्र इस्लाम २. महबूब उर्फ राजू पुत्र गुलजार खां ३. आसिब उर्फ लल्ला पुत्र भगभाद ४. अकरम पुत्र असलम नि०गण रसूलपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के विरुद्ध धारा २/३ यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा उक्त कार्यवाही चारों शातिर अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए गोवंशीय पशुओं का वध करके कांस की बिक्री करना व समाज में भय व्यापत करने के कारण की गई है।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 05 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर

एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों 1. अतुल कुमार यादव पुत्र लल्लू राम यादव 2. लल्लू राम यादव पुत्र स्व0 छेद्दू यादव 3. त्रिभुवन सिंह यादव पुत्र स्व0 छेद्दू यादव 4. अनुराग यादव पुत्र त्रिभुवन सिंह यादव 5. पारुल पत्नी ओमप्रकाश उर्फ माता प्रसाद नि0गण श्रीनगर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी के विरुद्ध धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा उक्त कार्यवाही पांचो अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए जनता में भय व्यापत करने के कारण की गई है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 115 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 अवैध भट्टी बरामद कर 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना धौरहरा	90 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना पसगवां	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना ईसानगर	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	115 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार